न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 54/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/137

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(88)सूकाअ/2021/830 दिनांक 30.4.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियमं की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा माह दिसम्बर,2020 मे कार्यालय भवन के उपर स्वंय के निवास हेतु रसोई,लेटबॉथ एवं अन्य निर्माण करवाया है उसके लिए राज्य सरकार से कितना बजट आया व कितना खर्च हुआ है उसका विवरण चाहिए। 2. यदि सरकार से बजट नही आया एवं जन सहयोग से निर्माण हुआ है तो किस–किस व्यक्ति से कितनी–कितनी राशि/सामग्री ली गयी एवं कितना खर्चा हुआ उसका विवरण चाहिए तथा राशि उगाने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद का विवरण चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीओ वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सूचना का अधिकार/2021/971 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि "नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई नवीन निर्माण नही करवाया गया है ओर ना ही नवीन निर्माण हेतु कोई बजट आवंटन हुआ है ओर ना ही जन सहयोग से कोई नवीन निर्माण होने के कारण चाही गयी सूचना से संबंधित कोई अभिलेख कार्यालय मे उपलब्ध नही है इसलिए अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नही है।" इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। अपीलान्ट द्वारा जरिये ई–मेल अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को जानबूझकर सूचना नहीं दी जा रही है जबकि उपजिला कलेक्टर शेरसिंह के मकान में नवम्बर–दिसम्बर 2020 मे रहे ... उसके बाद कार्यालय के उपर प्रथम मंजिल स्थित कमरो के आगे बरामदे ... की दिवार को फूडवाकर उसमे दरवाजा निकलवाया एवं कमरो ... कमरे के अटेच एक ... व रसोई इत्यादि बनाने का कार्य बिना उच्चाधिकारियो की ...मति के स्वंय एवं स्टॉफ ... सहायता से जन सहयोग से राशि व सामग्री एकत्रित कर करवाया गया है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वर्तमान मे इसी सरकारी भवन मे निवास कर रहे है। जिसकी पुष्टि किसी उच्चाधिकारी से भौतिक सत्यापन कर की जा सकती है। किन्तु प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना रिकार्ड पर संधारित नही है किन्तु चाही गयी सूचना के संबंध मे जानकारी अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 971 दिनांक 20.7.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उपरान्त दी गयी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Sd/-

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested